

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 363 सन 2021

अनवान :-

1. विमला पत्नी रामप्रसाद जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सुमन पुत्र रामप्रसाद जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. सिलोचना पुत्री रामप्रसाद जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. ममता पुत्री रामप्रसाद जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
4. मंयक पुत्री स्व प्रार्वती पुत्री स्व रामप्रसाद जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. मोनिका पुत्री रामप्रसाद जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
6. विनोद पुत्री रामप्रसाद जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
7. शारदा पुत्री रामप्रसाद जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 20/2/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 450 की कुल 3.1990 हैक् एवं रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 79/79 की कुल 5.5390 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि रामप्रसाद पुत्र अर्जनराम जो वादी के पिता है के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पिता रामप्रसाद पुत्र अर्जनराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है अर्थात रामप्रसाद पुत्र अर्जनराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो रामप्रसाद पुत्र अर्जनराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 वादी की पुत्रीया एवं मृतक पुत्री प्रार्वती का पुत्र है जिन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी अर्थात अपनी माता/नानी के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कई मर्तबा कहा की वादीया के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की मृतक रामप्रसाद जो वादीया का पति है के नाम से दर्ज भूमि को वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की वाद भूमि रामप्रसाद पुत्र अर्जनराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की

भूमि को अपने माता/नानी वादीया के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 450 की कुल 3.1990हैक एवं रोही मौजा मन्दपपुरा के खाता संख्या 79/79 की कुल 5.5390हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के पति रामप्रसाद पुत्र अर्जनराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि रामप्रसाद पुत्र अर्जनराम जो वादी के पिता है के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पिता रामप्रसाद पुत्र अर्जनराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है अर्थात रामप्रसाद पुत्र अर्जनराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो रामप्रसाद पुत्र अर्जनराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 वादी की पुत्रीया एवं मृतक पुत्री प्रार्वती का पुत्र है जिन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी अर्थात अपनी माता/नानी के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 450 की कुल 3.1990हैक एवं रोही मौजा मन्दपपुरा के खाता संख्या 79/79 की कुल 5.5390हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के पति रामप्रसाद पुत्र अर्जनराम के नाम से दर्ज है।


वादीया का कथन है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रामप्रसाद पुत्र अर्जनराम के नाम से दर्ज है जिसके जायज वारिसान वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है एवं वादीया के द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से वादीया के कथनों की पृष्टि होती है।

वादीया का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने वाद भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में किया हुआ है वादीया कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हकों का त्याग वादीया के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादीया के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 450 की कुल 3.1990हैक् एवं रोही मौजा मन्दपपुरा के खाता संख्या 79/79 की कुल 5.5390हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के पति रामप्रसाद पुत्र अर्जनराम के नाम से दर्ज है के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातदार काशतकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/7/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (सजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर



सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. विमला पत्नी रामप्रसाद जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सुमन पुत्र रामप्रसाद जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. सिलोचना पुत्री रामप्रसाद जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. ममता पुत्री रामप्रसाद जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
4. मंयक पुत्री स्व प्रार्वती पुत्री स्व रामप्रसाद जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. मोनिका पुत्री रामप्रसाद जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
6. विनोद पुत्री रामप्रसाद जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
7. शारदा पुत्री रामप्रसाद जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 363 सन 2021 निर्णय दिनांक-20/3/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 450 की कुल 3.1990हैक एवं रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 79/79 की कुल 5.5390हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के पति रामप्रसाद पुत्र अर्जनराम के नाम से दर्ज है के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/3/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)